

ई-नीलामी की तिथि एवं समय: 04.03.2022 को अपराह्न 4:00 बजे तक।

ईएमडी एवं दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय:

सम्पत्ति संख्या 03.03.2022 को अपराह्न 4:00 बजे तक।

जबकि, यूको बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सरफेसी एक्ट की धारा 13(2) के अधीन गान नोटिस जारी की गयी थी तथा उसके परघात सरफेसी एक्ट की धारा के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सरफेसी एक्ट की धारा 13(4) के अधीन बैंक के पास बंधक रखी गई संपत्तियों को कब्जे में लेने के बाद बकाया राशि की वसूली के लिए प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अप्रोहस्तकारी ने "जैसा है एवं जहाँ है" तथा "जैसा है जो भी है" के आधार पर सार्वजनिक नीलामी द्वारा संपत्ति को बेचने का निर्णय लिया है। वेबसाइट <https://www.mscecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> पर उपलब्ध कराये गये ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिक्री की जाएगी।

घर/अचल संपत्तियों का विवरण

क्र. सं.	शाखा का नाम उधारदार/जमानतदार/ बंधककर्ता का नाम	मौल्य सूचना की तिथि		संपत्ति के मातिक का नाम एवं विवरण	आवश्यक मूल्य	
		कच्चा की तिथि	बकाया राशि		ईएमडी	बिड वृद्धि राशि
1.	शाखा: सूरजगढ़ा मो० अल्ताफ पिता मो० बदरुद्दीन, पता: नया टोला, मोहम्मदपुर, अलीनगर, सूरजगढ़ा, जिला: लखीसराय खाता सं०: 04010610004043	13.06.2019	₹ 13,99,139/- + ब्याज एवं अन्य खर्च	सम्पत्ति के सभी पारसल का स्वामित्व मो० अल्ताफ एवं मो० अनवर, दोनों के पिता मो० बदरुद्दीन, डीड सं०: 1581, दिनांक 25.03.2013, मौजा: अलीनगर, खाता सं०: 105, खेसरा सं०: 208, धाना सं०: 158, तौजी सं०: 1319, रकबा 6.25 डेसिमल, पोस्ट: अलीनगर, धाना: सूरजगढ़ा, जिला: लखीसराय, चौहरी:- उत्तर : दीना यादव, दक्षिण : बघित मोकिर, पूर्व : बघित मोकिर, पश्चिम : बघित मोकिर।	₹ 19,00,000/-	₹ 1,90,000/- ₹ 10,000/-
		11.09.2019			₹ 29,19,852/-	
					₹ 2,92,000/-	
2.	शाखा: बक्सर श्री श्याम नारायण यादव पिता देव राज यादव, मंजहरिया, खुशुन, बक्सर खाता सं०: 17970500040165	20.10.2014	₹ 3,88,251/- + ब्याज एवं अन्य खर्च	सम्पत्ति के सभी भाग एवं पारसल का स्वामित्व श्री श्याम नारायण यादव, डीड सं०: 3353, 3354, मौजा: गरनी, खाता सं०: 38/1, धाना सं०: 363, धाना: बक्सर, प्लॉट सं०: 75, पोस्ट: मंजहरिया, जिला बक्सर, रकबा: 25.5 डेसिमल, चौहरी:- उत्तर : राम विलास सिंह, दक्षिण : मुख्य सड़क, पूर्व : हाजा बैलेंस लैंड, पश्चिम : अन्य मातिक का भाग।	₹ 10,000/-	
		16.02.2016			₹ 29,19,852/-	
					₹ 2,92,000/-	

सका प्रदाता का संपर्क विवरण एवं वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं तथा कोई संपत्ति सभी अन्य जानकारी के लिए अंचल कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं, श्री सुंदर कुमार, वसूली परिष्क प्रबंधक मो० सं०: 9033064044, सूरजगढ़ा शाखा, मो० सं०: 8757597055, बक्सर शाखा, मो० सं०: 8282248149, ई-मेल आईडी zopatna.rec@ucobank.co.in, zo.patna@ucobank.co.in से कार्य दिवस के दौरान कार्यालय कार्य अवधि सोमवार से रविवार (10.00 बजे पूर्वाह्न से 05.00 बजे अपराह्न) बैंक अवकाश को छोड़कर।

ई-नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तें: 1. बोलीदाताओं को <https://www.mscecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp> या www.ibapi.in पर देख सकते हैं (नीलामी की विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए भी अपनी बोली जमा करने से पहले और ई-नीलामी की बिक्री कार्यवाही में भाग लेने के लिए)। 2. इच्छुक बोलीकर्ता को पास बैंक, कार्यशील ई-मेल आईडी एवं पैन नं० होना चाहिए। 3. अप्रोहस्तकारी को बिना कोई कारण बताए और बिना कोई पूर्व सूचना के किसी भी निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत या बिक्री को स्वामित्व / रर या बिक्री के किसी के नियम एवं शर्तों में बदलाव करने का पूर्ण अधिकार एवं स्वनिर्णय करने का है। 4. बिक्री सरफेसी अधिनियम/नियम 2002 की शर्तों एवं निर्धारित शर्तों के अधीन है। 5. सफल बोलीदाता बिक्री के दिन ई-नीलामी बिक्री की कार्यवाही बंद होने पर खरीद राशि का 25 प्रतिशत (पहले से भुगतान किए गए अग्रधन राशि सहित) तुरंत भुगतान करना होगा। खरीद मूल्य का शेष 75 प्रतिशत भुगतान बोलीदाता द्वारा समेचित बिक्री की स्वीकृति/पुष्टि के 15 दिनों के अंदर करना होगा। निर्धारित अवधि के अंदर भुगतान नहीं होने पर संपत्ति के सभी दावों एवं अग्रधन राशि को उपर वर्णित के अनुसार जब्त कर लिया जाएगा। 6. असफल बोलीदाता का अग्रधन राशि ई-नीलामी बिक्री की कार्यवाही बंद होने पर वापस कर दिया जाएगा। 7. बिक्री बैंक द्वारा पुष्टिकरण के अधीन होगा। यदि उधारकर्ता(ओं)/जमानतदार(ओं) बिक्री से पहले बैंक को पूर्ण रूप से भुगतान करते हैं तो बिक्री रोक दी जाएगी। 8. यह उधारकर्ता(ओं)/जमानतदार(ओं) के लिए नीलामी के विषय में सूचना भी है, यदि उधारकर्ता(ओं)/जमानतदार(ओं) नीलामी की तारीख से पहले बकाये राशि का भुगतान नहीं करते हैं। 9. अनिश्चित बोली जमा करने की अंतिम तिथि 03.03.2022 अपराह्न 4.00 बजे है। 10. जमा की जाने वाली बोली मूल्य आरक्षित मूल्य से उपर होगी और बोलीदाता को 0-10,000/- की राशि या उसके गुणक में वृद्धि करनी होगी।

दिनांक : 15.02.2022
स्थान : पटना
नोट : विवाद की स्थिति में संबंधी पाठ मान्य होगा।
प्राधिकृत अधिकारी
यूको बैंक